

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फा.सं. 1/867

जयनाथ मंडल वीर

प्रथम पक्ष

- पाणीस्य मंडल वीर

द्वितीय पक्ष

काद संख्या 114/21

धारा 144 द.प्र.सं. 0


आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तांक 1941 का नियम 129)

आदेश सं. के. सं. 0 से तक

जिला सं. 0 सं. 20

केस का प्रकार

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क गई कार्यवाही के बारे में दिव्यनी तारीख सहित
1	2	3
14/03/21	<p>आवेदक/आवेदिका <u>जयनाथ मंडल</u></p> <p>पिता/पति <u>रमन खोनवा सुग्गी</u> ग्राम <u>बनखरी</u></p> <p>थाना <u>सरिया</u> जिला <u>गिरिडीह</u> द्वारा द.प्र.सं. 0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा <u>बनखरी</u></p> <p>(1) खाता सं. 06 प्लॉट संख्या 83</p> <p>रकबा <u>2.7 बीघे</u> चौहद्दी: 30- <u>तीखा बरि वीर</u></p> <p>द. 0- <u>तीखा बरि वीर</u> पू. 0- <u>पमीया जालदीन</u></p> <p>प. 0- <u>प्रधुवा कौमरी</u> में भू-विवाद के कारण विवेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जांच/मंतव्य अंचल अधिकारी <u>सरिया</u> /थाना प्रभारी <u>सरिया</u> से मांगें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>22/03/21</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। </p> <p>(2) प्लॉट सं. 91 रकबा 06 बीघे पू. 0- <u>पमीया जालदीन</u>, द. 0- <u>गुलीया दुसाद वीर</u> <u>द. 0- गुलीया दुसाद वीर</u>, पू. 0- <u>पमीया जालदीन</u></p> <p>(3) प्लॉट सं. 100 रकबा 09 बीघे पू. 0- <u>पमीया जालदीन</u>, द. 0- <u>कोटडा बुधन</u> <u>कौमरी</u>, द. 0- <u>उगरी सुग्गी</u>, पू. 0- <u>गुलीया दुसाद वीर</u></p>	212 14/03/21

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के व. में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	(04) प्लॉट सं० - 113, रकबा - 0.8700- पॉ० 50 - मोला मोलहा, 40 - तीलवा बर्ई वॉ० सू० - मोला मोलहा, 40 - मोलवा पदार	
	(05) प्लॉट सं० - 117, रकबा - 0.5300- पॉ० 55 तीलवा बर्ई वॉ० 40 - धान नीम सू० - गुलीमा दुसाध वॉ० 40 - गुलीमा दुसाध वॉ०	
	(06) प्लॉट सं० - 119, रकबा - 5.3000- पॉ० 50 - अतुपा दुसाध, 40 - तीलाका बर्ई वॉ० सू० - नीम - धान, 40 - तीलवा बर्ई वॉ०	
	(07) प्लॉट सं० - 120, रकबा - 1.4000- पॉ० 50 - दुखीमा धटकार, 40 - अतुपा दुसाध सू० - मालिक, 40 - गुलीमा दुसाध	
	(08) प्लॉट सं० - 124, रकबा - 2.1000- पॉ० 50 - दुखीमा, 40 - अतुपा दुसाध सू० - मालिक, 40 - गुलीमा दुसाध	
	(05) प्लॉट सं० - 1485, रकबा - 1.3000- पॉ० 50 - जेपर सुग्गी वॉ० 40 - भीम सुग्गी सू० - मोठुवा पदार वॉ० 40 - लेदवा सुग्गी	
	(10) प्लॉट सं० - 2083, रकबा - 2.0000-	

आदेश की क्रम
सं० और तिथि

आदेश और प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
सहित

1
2
3
पैरि ड० - दीपना युग्मी कौंठ ५० - दीपना
युग्मी कौंठ ५० - पत्नी कौंठ ५० - दीपना
युग्मी

लेखापित एवं संगोपित

14
अनु ५०५
बगोदर - सरिया


अनु ५०५
बगोदर - सरिया


22/03/21



अभिलेख उपरुपापित। जाना प्रपारी सरिया
के जापांक 20 05/21 दिनांक 21/03/21 के
माध्यम से जाप प्रतिवेदन प्राप्त है। जाप
प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट
हूँ कि भूमि विवाद को लेकर समय-
समय में शांति पंग होने की जागंका
है। इन बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इन
माध्यम में हड़ताल को शुरू करने तथा
बलाके में शांति बनाये रखने रखने के
लिए निरी धातुक करिवार आवश्यक है।
इन तथ्यों के जापों में

उभय पक्षों के विरुद्ध चारा 144 40 प्रॉविसन
के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया
जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों
के लिए विवादाग्रस्त भूमि पर या
उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी
तरह के कार्य करने के लिए प्रतिबंधित
किया जाता है तथा रोका जाता है साथ
ही उभय पक्षों से दिनांक 05/08/21
के कारण भूमि की मांग की जाती है
कि ज्यों नहीं एक या दोनों पक्षों को
विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सन्तुष्ट
किया जाय।

लेखापित एवं लेखापित


अनु० 50/21
बगौदर - सरिका


अनु० 50/21
बगौदर - सरिका

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/08/21	<p>अभिषेक उपस्थित। उपयुक्त पत्र उपस्थित। File No To 24/08/21</p> <p>॥ </p>	
26/08/21	<p>अभिषेक उपस्थित। प्रथम पत्र - उपस्थित। उपरोक्त पत्र को बना। डिलीज पत्र के द्वारा बतलाया गया कि उपरोक्त न्यायालय में TS (विवाद) 37/2015 विचारधीन है जिसमें प्रक्रिया की शक्ति भी सन्निहित है। समाप्त। समानान्तर बाद चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>॥ </p>	